

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेड़ा तहसील बनेड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्री संजय माथुर

(आर.ए.एस.)

103/2015

उनवान

जेतुन बैवा शहाबुदीन सलावट निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा  
इकबाल पिता शहाबुदीन सलावट ना0बा0व0वि0 माता जेतुन बैवा शहाबुदीन सलावट निवासी बनेड़ा  
तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा  
सतीक पिता शहाबुदीन सलावट ना0बा0व0वि0 माता जेतुन बैवा शहाबुदीन सलावट निवासी बनेड़ा  
तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

—————( प्रार्थी )

बनाम

1. सोहन पिता हीरा माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा  
2. गोपाल लाल पिता उत्सव लाल ब्राहमण निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा  
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

—————( अप्रार्थीगण )

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 20.06.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय ने दिनांक 14.12.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत 2069 से 2072 की जमाबंदी अनुसार उनके खान बनेड़ा पटवार क्षेत्र बनेड़ा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बनेड़ा तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 497 के आ0न0 2146 रकबा 01-13 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेड़ा में दिनांक 20.06.2016 को खरीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर कोई आपत्ति नहीं होना बताया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नहीं होने से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

खान बनेड़ा पटवार क्षेत्र बनेड़ा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बनेड़ा तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 497 के आ0न0 2146 रकबा 01-13 बीघा की पत्थरगढ़ी बशामलात पक्षकारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू0अ0नि0 की कमिश्नर फीस 300/- रुपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। यदि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प बनेड़ा में सरे इजलास सुनाया गया।

(संजय माथुर)

उपखण्ड अधिकारी,  
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा  
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा